

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, नारायणपुर वनमण्डल, नारायणपुर

Phone/Fax No. 07781-252228 (O), 252232 (R), E-mail - dfonpur1@gmail.com/ dfo-narayanpur.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 2136

नारायणपुर, दिनांक.. 08/06/2024

प्रति,

महाप्रबंधक,
मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज,
लिमिटेड सिलतरा रायपुर (छ.ग.)

विषय :- **Diversion of 2.025ha. Forest land for non-forest purpose under forest Conservation Act, 1980 in favour of Jayaswal NECO Industry Limited Siltara, Raipur Proposed for alternative Approach Road for transportation of iron ore at Chhotedongar Iron Ore Mine, Narayanpur District in the State of Chhattisgarh-reg.**

संदर्भ :- 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-8/22/2023-IRO-Raipur/1591 दिनांक 29.02.2024.
2. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/खनिज/331-310/620 रायपुर दिनांक 01.03.2024.
3. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक(भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-25/1103 रायपुर दिनांक 01.05.2024.
4. कार्यलयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./1390 दिनांक 11.03.2024.

—:00:—

विषयांतर्गत लेख है कि, भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-8/22/2023-IRO-Raipur/1591 दिनांक 29.02.2024 के द्वारा आवेदक संस्थान मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड सिलतरा रायपुर को लौह अयस्क परिवहन हेतु रकबा—2.025 हे. वनभूमि का प्रथम स्वीकृति जारी जारी उपरांत आपके द्वारा सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु पश्चिम भानुप्रतापपुर के कोयलीबेड़ा परिक्षेत्र के ग्राम कौड़ोसालहेभाट में स्वामित्व की निजी भूमि रकबा—2.050 हे. क्रय कर प्रस्तावित किया गया है।

संदर्भित पत्र क्रमांक 02 के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा होने वाले समस्त राशियों के लिए आवेदक संस्थान को मांग पत्र जारी करने के निर्देश प्राप्त होने के उपरांत संदर्भित पत्र क्रमांक 03 के माध्यम से परियोजना प्राक्कलन अनुसार राशि रुपये 1981664.00 (उन्नीस लाख इक्यासी हजार छ : सौ चौंसठ रुपये) मात्र का मांग पत्र प्रेषित किया गया था।

उक्त परिपालन में आपके पत्र क्र /जेएनआईएल/छोटेडोंगर/2024/566 दिनांक 25.04.2024 के द्वारा वेब पोर्टल पर ई-चालान जनरेट कराकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंगलुरु के छत्तीसगढ़ कैम्पा खाता क्रमांक 1506470156074577 में (एनईएफटी/आरटीजीएस) के द्वारा दिनांक 23.04.2024 के माध्यम से जमा करने का उल्लेख करते हुए चालान की प्रति एवं ऑन लाईन भुगतान की प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

अ.प्र. मु. व.सं. (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/ विविध/115-25/1103 दिनांक 01.05.2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना (ईको रेस्टोरेशन सहित) हेतु कैम्पा द्वारा अनुमोदित योजना अनुसार ही वैकल्पिक वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाने का उल्लेख करते हुए संशोधित दर राशि रुपये 1169680/- प्रति हेक्टेयर के मान से राशि वसूल करने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 10 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना (ईको रेस्टोरेशन सहित) संशोधित दर अनुसार निर्धारित दर 1169680.00 X 2.050 हे. के आधार पर कुल राशि रुपये 2397844.00 (तेईस लाख सत्तानवे हजार आठ सौ चौवालीस रुपये) मात्र व्यय होना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2024 -25 हेतु निर्धारित सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रुपये 1169680.00 X 2.050 = 2397844.00 - (पूर्व में जमा राशि) 1981664.00 = 416180.00 (चार लाख सौलह हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र अंतर की राशि जमा किया जाना शेष है।

अतः प्रथम स्वीकृत रकबा -2.025 हे. के विरुद्ध सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि रुपये 416180.00 (चार लाख सौलह हजार एक सौ अस्सी रुपये) मात्र का वेब पोर्टल के माध्यम से ई-चालान जनरेट कराकर छत्तीसगढ़ के कैम्पा खाता में जमा कर चालनकी एक प्रति इस कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें।

वनमण्डलाधिकारी

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर
नारायणपुर, दिनांक 08/08/2024

पृ0क्रमांक/मा0चि0/2137

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) अटल नगर रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित है।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

नारायणपुर वनमण्डल नारायणपुर